फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी / वादी

पेमाराम

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

बनाम

बुद्धिदेवी वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद पत्र

मुकदमा नं. 04 / 2017

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
05.05.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा को अन्य वाद प्रकरण 60 / 2007 पदमाराम बनाम दामोदर के साथ नत्थी किया हुआ था। दिनांक 26.06.2024 को पूर्ववर्ती वाद के खारिज हो जाने से प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किया गया। प्रकरण हाजा तारीख पेशी दिनांक 09.01.2017 से तलबी स्तर पर लम्बित चल रहा है। तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये साथ ही प्रकरण में वकील वादी को तारीख पेशी 09.12.2025 को 200 रू. कॉस्ट अदायगी / सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 05 के तहत कार्यवाही हेतु हिदायत दी गई तथा पश्चात दिनांक 07.04.2026 को पुनः 500 / – रू. कॉस्ट अदायगी के साथ प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अवसर दिया गया। परन्तु वकील वादी ने प्रकरण हाजा में आदिनांक तक प्रतिवादीगण की तलबी सम्मन तक पेश नहीं किये। तथा ना ही आज दिनांक को सम्मन तलबाना पेश किये। अतः वादी का वादपत्र अधीन धारा 88, 92अ, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बावजूद पर्याप्त अवसर अप्रार्थीगण की तामील किये जाने हेतु दिये जाने पर भी तलबी नहीं कराने एवं न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश–9 नियम–5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	